भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049

बुधवार, 28 जुलाई, 2021 /06 श्रावण, 1943 (शक)

असंगिठत क्षेत्र में श्रमिक का सामाजिक कल्याण

1049 श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असंगिठत क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों जैसे कि खेतिहर श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए क्या- क्या कार्य क्रम चलाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार देश के खेतिहर श्रमिकों को समर्पित कोई योजना बनाएगी ताकि उनकी समस्याएं कम हों क्योंकि यह सच है कि आबादी का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में कार्य करके अपना जीवन-यापन करता है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में दिए गए अधिदेश के अनुसार सरकार खेतिहर श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को (i) जीवन एवं अशक्तता कवर (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य कोई लाभ के संबंध में समुचित कल्याणकारी योजनाएं बनाते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं नि:शक्तता कवर प्रदान किया जाता है। 18-50 वर्ष और 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी क्रमश: पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पात्र हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत किसी कारणवश मृत्यु होने एवं स्थायी अशक्तता होने पर 2.0 लाख रुपये और आंशिक अशक्तता होने पर 1.0 लाख रूपये का हितलाभ प्रदान किया जाता है। दोनों योजनाओं के लिए पात्रतानुसार वार्षिक प्रीमियम 342/- रुपये (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330/- रुपये और पीएमएसबीवाई 12/- रुपये) हैं।

स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जो वर्ष 2018 से आरंभ एक सार्वभौम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार नि:शुल्क 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य कवरेज द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के इलाज के लिए प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की पहचान समाजार्थिक जाति जनगणना ,2011 के आंकडों के आधार पर की गई है।

वृद्धावस्था संरक्षण, पेंशन स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) द्वारा प्रदान किया जाता है जिसका आरंभ फरवरी, 2019 में किया गया। इसमें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद

3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। 18-40 वर्ष के आयु समूह के वैसे कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समान मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है।

ये योजनाएं खेतिहर/ कृषि श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू हैं। इसके अतिरिक्तये योजनाएं कृषि /खेतिहर श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए ब्याज अनुदान स्कीम (आईएसएस) स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है, के लिए ब्याज अनुदान स्कीम (आईएसएस) का क्रियान्वयन कर रही है,जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। आईएसएस का क्रियान्वयन फसल उगाने वाले, पशुपालन करने वाले, दुग्ध उत्पादन करने वाले तथा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को रियायती दर पर अल्प अवधि के कृषि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आईएसएस के लाभों का विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबंद्ध गतिविधियों वाले मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों तक भी किया गया है जिसकी समग्र सीमा 3.00 लाख रूपये तक है, और खेतिहर / कृषि श्रमिकों की समस्याओं को कम करने के लिए प्रतिवर्ष 2.00 लाख रूपये तक की ऋण राशि के लिए ब्याज अनुदान एवं तुरंत पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (आईएस एण्ड पीआरआई) लाभ के प्रावधान के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को नए केसीसी जारी किए गए हैं।

****